कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

//निविदा सूचना//

क्रमांक 170/जल/वार्षिक नि0–2017–18 राजनांदगांव दिनांक 7/2/17

नगर पालिक निगम राजनांदगांव जल विभाग मे उपयोग मे आने वाली सामग्री वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए क्रय हेतु निर्माता कम्पनियों,स्टाकिस्ट,डीलर,सप्लायर एवं शासन के अन्य विभाग एवं शासकीय उपक्रम में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से नान एस.ओ.आर. आयटम दर के आधार पर फार्म "बी" में मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेगें।

1 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि — 7/3/2017 शाम 5.00 बजे तक

2 प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि — 8/3/2017 को

संध्या 4.30 बजे कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखो में)	अमानति राशि	निविदा प्रपत्र मुल्य	निविदा प्रपत्र श्रेणी	
1	जी.आई. पाईप एवं फिटिंग सामग्री क्रय बाबत्	19.00	57000.00	750.00	बी. फार्म	
2	सी.आई. पाईप एवं फिटिंग सामग्री क्रय बाबत्	19.00	57000.00	750.00	बी. फार्म	
3	हैण्डपंप एवं फिटिंग सामग्री क्रय बाबत्	19.00	57000.00	750.00	बी. फार्म	
4	सबमर्सिबल पंप एवं फिटिंग सामग्री क्रय बाबत्	10.00	30000.00	750.00	बी. फार्म	
5	हैण्डपंप मरम्मत लेबर कार्य हेतु	3.00	3000.00	750.00	बी. फार्म	

शर्तेः–

1 सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

2 कार्य क्र0 01,02,03 एवं 04 के लिए वाणिज्यकर विभाग मे पंजीकृत निर्माता कम्पनी,डीलर,सप्लायर,स्टाकिस्ट का होना आवश्यक होगा।

3 कार्य क्र0 05 एवं 06 के लिए एकीकृत पंजीयन प्रणाली के "डी" वर्ग में पंजीकृत ठेकेदार होना आवश्यक होगा।

4 अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा के साथ सलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा। एफ.डी.आर. संलग्न नही होने की स्थिति में निविदा प्रपत्र नही खोला जावेगा।

5 निविदा में भाग लेने से इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन मे कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट छांट उपलेखन मान्य नही किये जावेगें। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा करने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।

6 दरें अंको एवं शब्दो मे स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट छांट उपलेखन मान्य नही किये जावेगें।

7 नियम व शर्तो की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

8 आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते है तो निविदा कार्यवाही अग्रीम कार्य दिवस में सपन्न किये जायेगें। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नही किये जायेगे।

9 छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक 243/वि.नि./चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा।

10 सफल निविदाकार को तीन दिवस के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

11 किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

12 अनुमानित राशि में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव का होगा।

13 निविदा में दर्ज जिस सामग्री का दर सी.एस.आई.डी.सी. एवं डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट लिस्ट में होगा। नगर निगम वहां से सामग्री कय करने हेतु स्वतंत्र होगी।

14 जी.आई. पाईप आई.एस.आई. बी क्लास 1239 प्रदान करना होगा।

15 सामाग्री एन.आई.टी. अनुसार एवं आई.एस.आई. का प्रदाय करना होगा।

16 राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जावेगा।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्रमांक 171/जल/वार्षिक नि0–2017–18
राजनांदगांव दिनांक 7/2/

1 माननीय महापौर/अध्यक्ष नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ।
2 प्रभारी सदस्य,जल विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
3 कार्यालय ———————— नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतू।
4 डाटा सेंटर प्रभारी, विभागीय वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

Scanned by CamScanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ0ग0)

// जल प्रदाय विभाग से संबंधित निविदा शर्त //

1. निविदा प्रस्तुत करने से तात्पर्य होगा कि प्रस्तुतकर्ता की निविदा में दर्शायी गयी समस्त शर्तो से सहमत है एवं यह उन्हे मान्य है।
2. सफल निविदाकार को सूचना मिलने से 7 दिनों के अंदर इकरार नामा करना आवश्यक होगा, इसके अभाव में अमानति राशि निगम कोष में राजसात की जावेगी तथा अतिरिक्त व्यय की क्षतिपूर्ति प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी।
3. सामाग्रियों के प्रदाय हेतु सामाग्रियों के दर निविदा प्रपत्र में समस्त करो सहित सामाग्री निगम स्टोर में अथवा निगम सीमांतर्गत निर्देशित स्थलों में पहुंचाकर देने की स्थिति में प्रस्तुत किये जावें।
4. स्वीकृत निविदाकार को दर स्वीकृति व सप्लाई आदेश प्राप्त होने पर सामाग्रियों का प्रदाय 7 दिनों के अंदर निर्देशित स्थल/स्टोर में करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसके अभाव में सप्लाई आदेश निरस्त किया जावेगा।
5. निविदा यूनिट/मेक के हिसाब से प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रति सिलेन्डर, प्रति बोरी आदि के हिसाब से दर दर्शाना होगा।
6. सी.आई. पाईप एवं जी.आई. पाईप जिस कम्पनी का उल्लेख किया गया है। उसी कम्पनी का प्रति मीटर की दर से प्रस्तुत करना होगा।
7. सामाग्रियों की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
8. सुरक्षा निधी की वापसी अंतिम देयक भुगतान उपरांत किये जायेगें।
9. आहुत की जा रही निविदा सूची अनुसार दर मान्य किये जावेगें।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार अथवा रद्द करने का समस्त अधिकार नगर निगम, राजनांदगांव के पास सुरक्षित रहेगें तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की दावा अपील ग्रहण नही किये जावेंगे। साथ ही विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. निविदाकारों के देयको से निम्नानुसार आयकर/वाणिज्यकर एवं सुरक्षा निधी की कटौति चलित देयको से की जावेगी।
12. निविदा वित्तीय वर्ष के लिए रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अग्रीम निविदा तक अनुमानित व्यय के राशि से अधिक सामाग्री कय करने का अधिकार आयुक्त महोदय के पास सुरक्षित रहेगा। संबंधित निविदाकार को स्वीकृत दरो पर सामाग्री प्रदाय करना होगा।
13. निविदा से सबंधित विस्तृत शर्ते एवं अन्य जानकारी जल प्रदाय विभाग से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किये जा सकते है।
14. निविदा में जिसकी दरे मंगाई गयी हो उसी का दर प्रस्तुत करना होगा। किसी अन्य दरे प्रस्तुत करने पर मान्य नही होगें।
15. निविदा में दर्ज जिस सामग्री का दर सी.एस.आई.डी.सी. एवं डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट लिस्ट में होगा। नगर निगम वहां से सामग्री कय करने हेतु स्वतंत्र होगी।
16. निविदा के साथ नियम एवं शर्ते पर सहमति निविदाकार को मान्य होगा।
17. सामाग्री का परीक्षण अभियंताओं/प्रभारी अधिकारी के द्वारा मात्रा व गुणवत्ता प्रमाणित करने के बाद ही देयक भुगतान के लिए मान्य किया जावेगा। केवल सामाग्री प्रदान करने मात्र से ही भुगतान की पात्रता नही होगी।

(हस्ताक्षर) 07/02/17

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,राजनांदगांव

Scanned by CamScanner